पुनरीक्षित स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम — श्रीमती भूदेवी महिला एवं बाल विकास शिक्षण संस्थान।
2–संस्था का पता– निरालानगर नगलापदी आगरा–5 उ0प्र0 ।
3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष ।
4–संस्था के उददेश्य–

1– शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी एवं प्राविधाविधिक व कृषि शिक्षा संस्थान की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक–युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

2– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभाग के वित्तीय सहयोग से युवक युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई,कढाईकताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिगकला प्रशिक्षण, तथा टंकण, आशुलिपि, एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल,डिजायनिंग,ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथाउनमेंजागरूकता पैदा करना।

3– कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग एकता की भावना पैदा कर उन्नति कृषि उत्पादनपर बल देना एवं उनकी समस्याओं को सुलझाना व सम्बन्धित प्रशासन तक पहुँचाना ।

4– ग्रामीण शहरी लोगों के पेयजल समस्या के निदान के लिये मॉग आधारित एवं सामुदायिक सहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

5– ग्रामीण एवं शहरी स्वच्छता कार्यकम के अर्न्तगत सामुदायिक शौचालयों का निमार्ण कराना एवं जनजागृति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना ।

6– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार व प्रसार करना ।

7– सतत् शिक्षा एवं साक्षरता मिशन के अर्न्तगत कार्य करना तथा लोगों को शिक्षित करना ।

योग, प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन व नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न संकामक अस्वास्थ्य रोगों से नागरिको को मुक्त कराने का प्रयत्न करना तथा शारीरिक शिक्षा केन्द्रों, योग साधना केन्द्रों व निशुल्क चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना करना ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र आगरा

------ कमशः -- 2 पर

9– संस्था का उद्देश्य नागरिको के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, गर्भवतीमहिलाओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना

11– संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यक्रमों एवं जागरूकता शिविरों, निशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम उन्मूलनकार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेद्य कार्यक्रम चलाना ।

12– देश विदेश एवं प्रदेश की समानउद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ।

13– संस्था का उद्देश्य निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनवाडी, वालवाडी, नारी निकेतन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व बालश्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बालश्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना ।

14– युवाओं को उपभोक्ता फोरम जैसे अधिनियम की जानकारी देना व उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना व उन्हें निशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

15– युवाओं के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं जैसे–बुनियादी खेल सुविधाओं के वित्तीय अनुदान राष्ट्रीय खेलसंघों की सहायता से ग्रामीण खेल कार्यक्रम महिलाओं के लिये राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जैसी योजनाओ को चलाना व वित्तीय अनुदान/सहायता प्राप्त करना ।

सत्य प्रतिलिपि

16– संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं शिक्षा सस्थानों, निशुल्क औषधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना ।

17– नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन,पोस्टर, बैनर आदि के माध्यन से एड्स, कैंसर, हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्य कार्यक्रमों को व्यापाक स्तर पर चलाना ।

------- कमशः -- 3 पर.

12– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार,निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी, लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोडने हेतु सड़क खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल एवं की स्थापना/निमार्ण कराना तथा लोगों कोसमाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना ।

13– पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह–जगहवृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना ।

14– ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, मत्स्य पालन,सुअर पालन आदि को बढावा देना, तथा फ्लोरिकल्चर, एवं अन्य उन्नतकृषि को बढावादेना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित कर गॉवों का सर्वांगीण विकास करना ।

15– समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक वधिरों विकलॉगों व निसश्रित, लाचार बृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्यकरना, बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।

16– समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाओं का आयोजन कराना एवं परिक्यकताओं व विधवाओं को पुर्न विवाह हेतु प्रेरित करना एवं उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

17– विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरूक करना एवं बेरोजगार युवक–युवतियों एवं विधवा अनाथ परित्यक्ता महिलाओं, एवं वृद्धजनों,वअनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर नागरिक बनाना ।

सत्य प्रतिलिपि

18– पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, सबर्द्धन का कार्य करना व उनके लिये पशु चिकित्सालय पशुशाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

19– खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का सस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

SECRETARY
Shri Devi Mahila Evam Bal Vikas Shikshan Sansthan
Nirala Nagar, Nagla Padi, AGRA–8

क्रमशः -- 4 पर.

20– जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यॉत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन करना ।

21– निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधी महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन, हस्त शिल्प वस्त्र मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग,समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, राजीव गॉधी फाउन्डेशन, विश्व स्वास्थ्यसंगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्नकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

22– समाज उत्थान व सामाजिक समस्याओं व कुरीतियों को दूर करने तथा जनजागृति लाने हेतु धर्मार्थ पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सामाजिक जन चेतना जागृत करना ।

23– गौसंवर्धन व गौ संरक्षण का कार्य करना तथा गौशाला की स्थापना कर गौ उत्पादन की उपयोगिता के बारे में लोगों को बताना ।

24– अपरम्परिक ऊर्जा श्रोत संयत्रों गोवर गैस सौर्य ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमो का प्रदर्शन एवं विकास करना।

25– पृथ्वी पर जीवन की उच्च गुणवक्ता हेतु जैव विविधता का संरक्षण, शोध, विकास, खोज करना जिससे पेड़–पौधों, जीव–जन्तुओं की लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित रखना कृषि पर आधारित औषधीय पौधों जडी–बूटियॉ विकसित कर खेती कराना व हर्बल प्रोडक्सों का उत्पादन करना करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्या पर व्यय करना ।

26– हर्बल उत्पादनों एवं वनस्पतियों की प्राकृतिक लकडी की मालायें, धातु मालायें, शीप, मूँगा–मोती, एवं प्राकृतिक पत्थर की मालाओं का निमार्ण करना एवं समय–समय पर जगह–2 आयोजित मेलों प्रदर्शनी राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में आदि में उसका विकय करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

27– संस्कृति भाषा के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर छात्र–छात्राओं को संस्कृत भाषा की विद्वता हासिल कराना ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र आगरा
2/1/07

SECRETARY
Shu Devi Mahila Evam Bal Vikas Shikshan Sanstha
Nirala Nagar, Nagla Padi, AGRA

28– उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयो से ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना, चलाना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर नागरिकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना ।

29– नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिये विशेष अभियान चलाना तथा यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकना व विशेष सफाई अभियान चलाकर यमुना नदी की पवित्रता, शुद्धता बनाये रखने का प्रयास करना ।

30– अल्पसंख्यकों , पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये विद्यालयों प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना, महिला विकास कार्यक्रम एवं प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

31– महिलाओं को स्वरोजगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र आगरा

2/1/09

श्रीमती भूदेवी महिला एवं बाल विकास शिक्षण संस्थान, निरालानगर नगलापदी आगरा--5 की प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष—2005—2006

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1—श्री रामकिशन	ग्राम व पो0 सौरई जिला—आगरा	अध्यक्ष	कृषक
2—श्रीमती प्रियंका	ग्राम नगला तैजा पो0 सिहुरा जिला—मथुरा	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3—श्री देवव्रत शर्मा	18, सौरभ निकुन्ज, दयालबाग, आगरा	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवी
4—श्री रामबाबू	नई आबादी, नगलापदी, आगरा	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
5—श्रीमतीद गीता	दुर्गानगर नगलापदी आगरा	आय व्यय निरीक्षक	समाजसेवी
6—श्रीमती सन्तोष	विद्यानगर पटपरी आगरा	सदस्य	अध्यापन
7—श्री बॉके	ग्राम व पो0 सौरई आगरा	सदस्य	कृषक
8—श्रीमती भगवानदेवी	दुर्गानगर आगरा	सदस्य	गृहणी
9—श्रीमती नीलम	पंचकुला हरियाणा	सदस्य	समाजसेवी
10—श्रीमती सुनीता मिश्रा	जोगेश्वर नगर आगरा	सदस्य	अध्यापन
11—श्रीमती ज्योति	हरीनगर मथुरा	सदस्य	गृहणी

गीता

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स
आगरा

21/09

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : श्रीमती भूदेवी महिला एवं बाल विकास शिक्षण संस्थान, आगरा.

2. संस्था का पूरा पता : निराला नगर, नगला पदी, आगरा - 282 005

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष ।

4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार रहेंगे ।

5. संस्था की सदस्यता : राष्ट्र भाषा एवं भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धावान तथा सदस्यों का वर्ग प्रत्येक भारतीय इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकेगा। सदस्यता निम्न प्रकार की होगी ।

   1. संस्थपक सदस्य : सर्व प्रथम अपने प्रयास तथा परिश्रम से संस्थान को स्थापित करने वाले महानुभाव आजीवन सदस्य बने रहेंगे।

   2. आजीवन सदस्य : संस्था का एक मालिक 25000/रूपया दान देने वाले महानुभाव आजीवन सदस्य रहेंगे ।

   3. विशिष्ट सदस्य : रूपया 2500/-रूपया वार्षिक तक सहायता देने वाले उस वर्ष तक सदस्य रहेंगे किन्तु अनवरत तीन वर्ष के पश्चात ही मताधिकार प्राप्त होगा ।

   4. सामान्य सदस्य : रू0 15001 वार्षिक आय तक सहायता देने वाले उस वर्ष तक सदस्य रहेंगे किन्तु अनवरत पांच वर्ष के पश्चात् मताधिकार प्राप्त होगा ।

   5. संरक्षक सदस्य : संस्था की चल अचल सम्पत्ति अथवा 25000/- रूपया या उससे अधिक सहायता देने वाले महानुभाव संस्था के आजीवन सदस्य रहेंगे ।

6. सदस्यता की समाप्ति : सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, कोर्ट द्वारा दण्डित करने पर, दिवालिया होने तथा निर्धारित शुल्क न देने पर सदस्यता समाप्त हो सकेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, आगरा मण्डल, आगरा

SECRETARY
Sh. Bhu Devi Mahila Evam Bal Vikas Shikshan Sansthan
Nirala Nagar, Nagla Padi, Agra

...2.

7. संस्था के अंग :

(अ) साधारण सभा : अनुच्छेद 1 से 5 तक के सदस्यों की सम्मिलित सभा साधारण सभा कहलायेगी ।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति : साधारण सभा द्वारा संस्था के संचालन अपने में से सात सदस्यों की अनुच्छेदों के अन्तर्गत गठित समिति प्रबन्धकारिणी समिति कहलायेगी ।

(क) गठन : अनुच्छेद 1 ऐ 5 तक की स्वीकृति सदस्यों द्वारा साधारण सभा का गठन होगा तथा प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी ही इसके पदाधिकारी रहेगें ।

(ख) बैठकें : वर्ष में एक बार साधारण सभा की वार्षिक बैठक बुलायी जायेगी जिसे वार्षिक अधिवेशन अथवा सामान्य बैठक कहेंगे और सचिव अथवा प्रबन्धकारिणी के चार सदस्यों की लिखित मांग पर तीन माह के अन्दर सचिव बैठक बुलाने को बाध्य होगा । जिसे विशेष बैठक कहेंगे ।

(ग) सूचना अवधि : साधारण सभा की बैठक का एजेण्डा 15 दिन पूर्व सदस्यों को प्रत्यक्ष अथवा यू.पी.सी. डाक द्वारा भेजा जायेगा ।

(घ) गणपूर्ति : समस्त सदस्यों के 1/3 अथवा सात सदस्यों से उसकी गणपूर्ति होगी किन्तु स्थिगित बैठक के लिये यह प्रतिबन्ध न होगा ।

(य) साधारण सभा के कर्तव्य :

1. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना ।
2. विगत वर्ष के आय-व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष हेतु आंकलन बजट की स्वीकृति देना ।
3. प्रबन्ध कारिणी समिति के निर्णय उपरानत प्रस्तुत अपील की सुनवाई कर निर्णय देना ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
2/11/08

SECRETARY
Smt. Bhu Devi Mahila Evam Bal Vikas Sansthan Bansi
Nirala Nagar Nagla Padi AGRA

4. संस्था की भावी योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्वीकृति देना तथा अर्थ व्यवस्था करना ।

5. संरक्षक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं शिकायतों पर विचार करना और निर्णय देना ।

6. संस्था के हित में उचित एवं अपेक्षित निर्देश प्रबन्धकारिणी समिति को देना और उसके कार्यों की समीक्षा करना ।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति</u> :

[अ] साधारण सभा द्वारा उसके मताधिकार प्राप्त सदस्यों में से सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर निम्न सात पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन किया जायेगा ।
जिसमें एक विद्यालय का प्रधानाचार्य तथा क्रम से प्रबन्धक वर्ष तक के लिये अध्यापक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रहेगा ।
पदाधिकारी निम्न होंगे :-
1. अध्यक्ष, 2.उपाध्यक्ष, 3.सचिव/प्रबन्धक, 4.कोषाध्यक्ष, 5.आय-व्यय निरीक्षक

[ब] बैठक : साधारण प्रबन्धकारिणी समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक होगी जिसे सामान्य बैठक कहेंगे और किन्हीं विषयों पर तीन सदस्यों के लिखित मांग पर एक माह के भीतर आहूत बैठक विशेष कही जावेगी ।

[स] <u>सूचना अवधि</u> : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की सूचना एजेण्डा 7 दिन पूर्व प्रत्यक्ष अथवा यू.पी.सी. डाक द्वारा देकर बुलाई जायेगी ।

[द] <u>गणपूर्ति</u> : कुल सदस्यों की 1/3 या 3 सदस्य से इसकी गणपूर्ति समझी जायेगी ।

[य] <u>रिक्त स्थानों की पूर्ति</u> : प्रबन्धकारिणी समिति में होने वाली रिक्तियां उनके शेष सदस्यों द्वारा साधारण सदस्यों में मनोनीति शेष अवधि के लिये भरी जायेगी ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र आगरा

SECRETARY
...Devi Mahila Evam Bal Vikas Shiksha Sansthan
...Nirala Nagar, Nagla Padi, AGRA

[र] प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1. संस्था समस्त दायित्व प्रबन्धकारिणी समिति में निहित रहेगा ।
2. संस्था द्वारा संचालित समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संचालन की व्यवस्था तथा उसमें वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके लिये शर्तों का तैयार करना ।
3. संस्था के समस्त आय–व्यय की स्वीकृति देना ।
4. समस्त अध्यापकों, लिपिकों कर्मचारियों एवम् अन्य अधिकारियों की नियुक्ति स्थायीकरण निलम्बन सेवा मुक्त अथवा दण्ड आदि का निर्णय देना ।
5. कर्मचारियों को मासिक वेतन वितरण, छात्रों को छात्रवृत्ति तथा मध्याह्न भोजन आदि की व्यवस्था करना ।
6. संस्था की सम्पत्ति चल व अचल सम्पत्तियों का क्रय–विक्रय की देखरेख करना ।
7. संस्था के हित में उचित एवं अपेक्षित समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना ।

[ल] कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष है किन्तु किसी प्रकार का विवाद, उल्लंघन होने की स्थिति में संस्था के हित में अध्यक्ष को वह विशेष अधिकार होगा कि वह प्रबन्धकारिणी भंग कर, मध्यावधि चुनाव करा दे और इस अवधि में समस्त अधिकारी अपने हाथ में रखे ।

पदाधिकारियों के अधिकार :

1. अध्यक्ष :

[क] साधारण सभा अथवा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता एवं किसी प्रकार से बराबर मत आने पर निर्णायक मत अधिकार प्रयोग करना ।

[ख] समस्त पदाधिकारियों के कार्य की देख–रेख एवं आवश्यक निर्देश देना ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मण्डल आगरा

SECRETARY
... Devi Mahila Evam Bal Vikas Shiksha Samiti
... Nagar Naola Padi, AGRA-8

(ग) संस्था के हित में उचित तथा अपेक्षित कार्यों को करना और आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार प्रयोग करना।

2. <u>उपाध्यक्ष</u> : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्य का पालन करना।

3. <u>सचिव</u> : (क) सचिव संस्था के एक मात्र कर्मचारी/अधिकारी और संस्था द्वारा संचालित विद्यालय का प्रबन्धक होगा उसके पास निम्नलिखित अधिकार रहेंगे।

(ख) बैठकों का एजेण्डा निकालना, कार्यवाही लिखना तथा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।

(ग) शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन एवं छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के अतिरिक्त 1000/- रूपया तक के व्यय पत्रों की स्वीकृति देना।

(घ) बैंक एकाउण्ट आपरेट करना तथा प्रबन्धकारिणी समिति के मासिक आय-व्यय स्वीकृत करना।

(ङ) संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थाई करना निलम्बन सेवा मुक्त तथा दण्ड के आदेश देना और विवादों की सुनवाई कर उचित निर्णय ले लेना।

(च) संस्था की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना किसी के द्वारा प्रस्तुत काम की पैरवी करना तथा वकील नियुक्त करना और शपथपत्रों संविदा पत्रों, सुलहनामों आदि पर हस्ताक्षर करना।

(छ) संस्था की ओर से केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अनुदान हेतु पत्राचार करना एवं अन्य वार्षिक तथा सामाजिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्रापत करना और उनकी रसदी देना।

(ज) विद्यालय में प्रबन्धक की हैसियत से शासन द्वारा निर्धारित शर्तों नियमों एवं आदेशों का पालन करना और कराना।

...6.

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
2/1/0

SECRETARY
[illegible] Devi Mahila Evam Bal Vikas [illegible] Samiti
Nirala Nagar, Nagla Padi, AGRA

(ग) संस्था के हित में उचित एवं समस्त अपेक्षित कार्यों को करना और संस्था के अभिलेखों को सुरक्षित रखना और ऑडिट कराना।

(घ) ~~[illegible] और से अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा [illegible] के [illegible] अनुदान प्राप्त [illegible] [illegible] करना।~~

4. कोषाध्यक्ष — अर्थ सम्बन्धित समस्त अभिलेखों, व्यय पत्रों आदि को सुरक्षित रखना और ऑडिट के समय प्रस्तुत करना और वेतन छात्रवृत्ति आदि भुगतान करना।

5. आय-व्यय निरीक्षक — समय-समय पर संस्था का हिसाब-किताब व उचित निर्णय देना।

11. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया

इस नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन इसी उद्देश्य से बुलायी गई साधारण सभी की बैठक में निहित होगा जिसका एजेण्डा संशोधन के स्पष्ट आलेख सहित 15 दिन पूर्व निकाला गया हो और कुल सदस्यों के 2/3 की उपस्थिति हो।

12. संस्था का कोष

संस्था का कोष किसी अधिकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में रहेगा और एकाउण्ट ऑपरेट करने का अधिकार प्रबन्धक का होगा।

संस्था के विद्यालय प्राइमरी से इण्टरमीडिएट स्तर की कक्षाओं की छात्र वृत्ति आदि के खातों का संचालन, प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के अध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

सामाजिक विकास कार्य वेतन संबंधी कार्य हेतु खाता सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा संचालित होगा

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा मंडल आगरा
2/11/07

SECRETARY
... Devi Mahila Evam Bal Vikas Shikshan Samiti
... Nagla Padi, AGRA

...7 पर

13. संस्था का आय व्यय लेखा परीक्षण — संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त एकाउन्टेन्ट अथवा किसी विधि लेखा विभाग के ऑडीटरो द्वारा प्रत्येक वर्ष कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट सचिव/प्रबन्धक प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा में अपनी आख्या सहित प्रस्तुत करेगा ।

14 संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाही के संयोजन का दायित्व : संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध किसी भी अदालती कार्यवाही का दायित्व सचिव को होगा ओर उसकी पेरवी संबंधी समस्त अधिकार उसमें निहित होगें ।

15 संस्था का अभिलेखः संस्था में निम्नलिखित अभिलेख होगें :–

- क) सदस्यता रजिस्टर
- ख) कैश रजिस्टर
- ग) स्टॉक रजिस्टर
- घ) कार्यवाही रजिस्टर

16 विघटन : यदि संस्था किसी प्रकार समाप्त हो जाती हे तो विघटन की जाने संबंधी समस्त कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार पूर्ण की जायेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

SECRETARY
Smt. ... Devi Mahila Evam Bal Vikas Sanrakshan Samiti
Nirala Nagar, Nagla Padi, AGRA

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
(फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स)
आगरा मंडल आगरा